

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम गल्जवाडी में गल्जवाडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग(मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज में आरक्षित वन भूमि 0.158 है० तथा देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज में आरक्षित वन भूमि 0.522 है० एवं सिविल /राजस्व भूमि 0.087 है०) कुल 0.767 है० वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

वन में योजना बनाने का औचित्य

वन भूमि की आवश्यकता — 0.767 हैक्टेयर

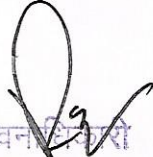
विभाग का नाम — निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

ग्राम पंचायत गल्जवाडी विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम , इन्दरनगर, खाबडवाला, गद्दूवाला, ब्रहमपुरी, पंजाबीवाला, झाडीवाला, पंडितवाडी एवं संतलादेवी आता है। ग्राम , इन्दरनगर, खाबडवाला, गद्दूवाला, ब्रहमपुरी, पंजाबीवाला, झाडीवाला, पंडितवाडी एवं संतलादेवी में पूर्व से गल्जवाडी पेयजल योजना से ग्रामवासियों को पेयजल से अच्छादित किया जा रहा है। पेयजल योजना अपनी अभिकल्पित समय लगभग 30 वर्ष पूर्ण होने के कारण ग्राम गल्जवाडी में ग्रामवासियों को पेयजल की किल्लत हो रही थी। जिस कारण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत गल्जवाडी में अधिक पेयजल की कमी हो जाने के कारण गल्जवाडी पेयजल योजना का पुर्नगठन प्रस्तावित किया गया। जिस हेतु ग्राम पंचायत में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु बैठक रखी गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिन श्रोतों से अभी तक ग्राम पंचायत में पेयजल उपलब्ध हो रहा था, उन्हीं से योजना का पुर्नगठन करते हुये योजना को नये सिरे से बनाया जाये। जिससे ग्रामवासियों को सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। तत्पश्चात विभाग द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कराया गया, जिसमें कि श्रोत बासागांड गदेरा अधिक चौड़ा होने के कारण बी०एफ०जी० (बोल्डर फील्ड गैलेरी) का निर्माण करते हुये पाईप लाईन का जलाशय तक डिजाईन किया गया। जिसमें बासागांड गदेरा में बी०एफ०जी० (10.00मी०X8.00 मी०) लेते हुये पाईप लाईन की लम्बाई श्रोत से गल्जवाडी तक 12995.00 मी० दूर स्थित है। जिसके लिये वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.767 हैक्टेयर है उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पाईप लाईन बिछाने हेतु उपयोग की जानी है। अतः उपरोक्त भूमि की क्षतिपूर्ति लागत उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा वन विभाग को भुगतान की जायेगी। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण

से ग्राम , इन्दरनगर, खाबडवाला, गद्दूवाला, ब्रह्मपुरी, पंजाबीवाला, झाडीवाला, पंडितवाडी एवं संतलादेवी बस्तियों की 4159 जनसंख्या लाभान्वित होगी। आवेदित वन भूमि में पेयजल योजना के निर्माण में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित आरक्षित वन भूमि में कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होना निहित नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये योजना में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि 0.767 है० की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।



प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी



प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून



अधियासी अभियंता,
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड राज्य पंचायत विकास
एवं निर्माण निगम, देहरादून